न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/2732/2006/चित्तौडगढ

चांदमल पुत्र केसरीमल अजमेरा निवासी ग्राम चैंची तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ

.....अपीलांट/वादी

बनाम

1. प्यारी बेवा उदा जाट निवासी रामपुरिया तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ
2. देवीलाल पिता उदा जाट निवासी रामपुरिया तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ

.....रेस्पोन्डेन्ट्स/प्रतिवादीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अयूब खान, अधिवक्ता अपीलांट
श्री आर.के.शर्मा, अधिवक्ता, रेस्पोडेंट्स

निर्णय

दिनांकः– 17–12–2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा अपील सं. 247/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–01–2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपजिला कलक्टर बेगू के समक्ष अपीलान्ट/वादी ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 188 के तहत ग्राम रामपुरिया स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 682/1 रकबा 0–020 हैक्टर भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद का प्रतिवादीगण ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद पत्र के कथनों को अस्वीकार किया। दावे व

जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन वाद में 3 विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 31–07–2004 पारित करते हुए वादी के वाद को डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–01–2006 द्वारा स्वीकार करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट/वादी ने बहस में बताया कि पंजीकृत विक्रय विलेख दिनाक 08–09–1988 के अनुसार कांशीराम पिता हरलाल धाकड द्वारा वादी चांदमल पिता केसरीमल को भूमि का बेचान किया गया तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द किया तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन किया गया है। तभी से वादी आराजी पर काबिजकाश्त चला आ रहा है। इस प्रकार वादी प्रश्नगत रकबे का रेकार्डेड खातेदार है। उनका आगे बताया कि आलोच्य विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 496 निष्पादित किया गया है, इस बाबत अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष कि आलोच्य नामान्तरकरण किस सक्षम प्राधिकारी के आदेश से खोला गया है, गलत है। उनका कहना है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा विवाद्यकों में विरोधाभासी निष्कर्ष अंकित किए गए है। जबकि वादी द्वारा अपने साक्ष्य से यह प्रदर्शित कर दिया था कि वादी प्रश्नगत रकबे का रेकार्डेड खातेदार है तथा अधिनियम की धारा 188 के तहत खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी है। उनका यह भी कहना है कि प्रतिवादीगण ने प्रश्नगत रकबे पर अपने कब्जे के बाबत किसी प्रकार प्रलेखीय साक्ष्य पेश नहीं की है। यहीं नहीं विपक्षी द्वारा नन्दा व काना का हिस्सा देवीलाल के नाम किस आधार पर अंकन हुआ यह भी साक्ष्य से प्रदर्शित नहीं करवाया गया। प्रस्तुत मामले में विपक्षीगण द्वारा अपनी साक्ष्य में केवल मात्र मौखिक साक्ष्य पेश की है इसके अतिरिक्त उनके द्वारा किसी

प्रकार की प्रलेखीय साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है। उनका तर्क है कि नन्दा व काना का हिस्सा देवीलाल के नाम किस आधार पर अंकित हुआ है तथा मौखिक बयान में इस बाडे में वादी का कोई हक नहीं है और पूरा बाडा मेरा है, इस बाबत विपक्षी द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किए है। उनका यह भी तर्क है कि प्रतिवादीगण ने गलत नीयत से वादी के बाडे की कोट गिराई है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा वादी के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी करने के कारण ही विचारण न्यायालय ने उनके पक्ष में वाद को डिक्री करने में किसी प्रकार की कोई भूल नहीं की है। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड तथा गवाहान के बयानात के विपरीत निष्कर्ष अंकित कर विपक्षी की अपील को स्वीकार करने में अविधिकता की है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अंत में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–01–2006 को अपास्त कर उपजिला कलक्टर बेगू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–07–2004 को यथावत कायम रखे जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में कहा कि हस्तगत मामले में लिप्त भूमि का भूखण्ड वादी का नहीं है बल्कि यह भूखण्ड विपक्षी का है, जिसमें वह अपने पशु बांधती है व चारा रखती है। इसके अतिरिक्त वादी का यह कथन असत्य है कि प्रतिवादीगण ने भूखण्ड की कोट गिराई। आगे बताया कि वादी ने असत्य अभिवचनों को अंकित कर मूल वाद पेश किया है, जो कि किसी भी स्थिति में चलने योग्य नहीं है। उनका तर्क है कि स्वयं वादी के बयानों से यह परिलक्षित होता है कि उसका कब्जा सिद्ध नहीं है तथा आराजी का विभाजन किस सक्षम प्राधिकारी से करवाया गया है, इस बाबत किसी प्रकार की वादी ने साक्ष्य पेश नहीं की है। उनका तर्क है कि गत 60 वर्षो से भूखण्ड पर प्रतिवादीगण काबिज है। उक्त स्थिति में मामले में विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को डिक्री करने में अनियमितता की गई है। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड तथा गवाहान के बयानात के मद्देनजर आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जो

कि विधि सम्मत है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें दोनों पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं डिक्री का अवलोकन व अध्ययन किया।

7. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 682/1 पर वादी व प्रतिवादीगण अपना-अपना कब्जा कथित कर रहे है। उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार गवाह कांशीराम ने कथित किया कि यह बाडा मैंने जोधराज से क्रय किया था और इसी बाडे को मैंने चांदमल को बेच दिया और जब बेचा तब बाडे का कब्जा चांदमल को दिया गया था। जिरह में उन्होंने बताया कि बाडा एक चक है और इसके बीच में कोट है अर्थात यह बाडा दो भागों में विभक्त है जिसे प्रतिवादी ने अपने बयानों में स्वीकार किया है और कथित किया कि बाडे में मेरा व मेरे ज्येठ का है और ज्येठ का पुत्र जोधराज है और जोधराज द्वारा अपना हिस्सा विक्रय किया जाना सिद्ध है। यहीं नहीं प्रतिवादीगण ने अपने बयानों में कहा कि बाडे के चारो तरफ पत्थर कोट है और पूरा बाडा एक चक है जबकि रेकार्ड में दो अलग-अलग नम्बर अंकित है और विक्रेता स्वयं कथित करता हे कि बाडे के बीच में पत्थर कोट है। जमाबंदी सम्वत 2055-2058 के द्वारा सिद्ध है कि आराजी संख्या 682/1 व 682/2 साबिक आराजी नम्बर 682 के दो टुकडे है जो कि नामान्तरकरण संख्या 496 से दो अलग-अलग नम्बर कायम किए गए है और पीडब्ल्यू 1 व 3 के बयानों के अनुसार दो अलग-अलग नम्बर अंकित किए हुए है। प्रतिवादीगण द्वारा कथित किया गया कि पूरा बाडा मेरे स्वामित्व का है परन्तु इस बाबत कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है। इसके विपरीत वादी ने अपने साक्ष्य के रूप में विक्रय विलेख व जमाबंदी न्यायालय के समक्ष पेश की है।

8. प्रदर्श-1 जमाबंदी सम्वत 2055-2059 में आराजी नम्बर 682 नंदा, काना पिता उदा ना.बा. वि. वाल्दा मु. प्यारी बेवा उदा जाट हिस्सा

1/6 चांद पिता केशरीमल महाजन नि. चेची हिस्सा 5/6 खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 496 से आरानी नम्बर 682/1 चांदमल पिता केशरीमल महाजन सा. चेची के नाम तथा 682/2 देवीलाल पिता उदा मु. प्यारी बाई बेवा उदा जाट सा. देह के नाम दर्ज है। उक्त राजस्व रेकार्ड से यह परिलक्षित होता है कि आराजी नम्बर 682/1 चांदमल की अकेले की खातेदारी में दर्ज है। उक्त रेकार्ड से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि प्रश्नगत रकबा वादी की खातेदारी की सिद्ध होना पाया जाता है। तदनुसार खातेदार अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त विवेचन के फलस्वरूप मामले में उपजिला कलक्टर बेगू द्वारा पारित किया गया निर्णय व डिक्री उपलब्ध दस्तावेज व बयानात के आधार पर न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पायी जाती है।

9. उक्त विधि सम्मत निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील जिसे अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री से स्वीकार कर तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त किया है। हम प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में किए गए विवेचन व विश्लेषण से सहमत नहीं है। अपीलीय न्यायालय ने विवेचित किया है कि मामले में निष्पादित नामान्तरकरण किस सक्षम प्राधिकारी के आदेश से निष्पादित किया गया है, इसका वादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। जबकि मामले में सम्पादित विक्रय विलेख के आधार पर आलोच्य नामान्तरकरण की स्वीकृति जारी हुई है। इसके अतिरिक्त अपीलीय न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड का गलत विवेचन करके आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जिसका हम समर्थन नहीं कर सकते। अतः आक्षेपित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण पाया जाने के कारण इसे अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रस्तुत द्वितीय अपील में विधि का उपचार उपलब्ध होने के कारण इसे स्वीकार किया जाकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. परिणामतः अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–01–2006 को अपास्त किया जाकर उपजिला कलक्टर बेगू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–07–2004 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य